विवरण—2

कार टेलीफोन प्रदान किए जाने की प्रकिया

कार टेलीफोन की मांग करने वाले उपभोक्ता को 10 रुपए के निर्धारित आवेदन फार्म पर महानगर टेलीफोन निगम लि. के नाम 1000 रुपए के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ पीआरओ मुख्यालय, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ नई दिल्ली—1 के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर, आवेदन करना पड़ता है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा बारी आने पर या बिना बारी के आधार पर कनेक्शन दिये जाने के समय, उपभोक्ता से 1 लाख रु. की बिना ब्याज की प्रतिभूति जमा, 1000 रुपए संस्थापना फीस तथा 4000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दो महीने का किराया अग्रिम लिया जाता है । यह राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अदा करनी पड़ती है । पूरी अदायगी की रसीद प्राप्त होने पर कार टेलीफोन की संस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं ।

सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

1493. **डा. अबरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल में केन्द्र-वार कितने सिपाही भर्ती किये गये हैं;

(ख) सीमा सुरक्षा बल में प्रवेश के लिए एक युवक को क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और इसमें भर्ती की पात्रता क्या है;

(ग) सीमा सुरक्षा बल में उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए भारतीय पुलिस सेवा और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में से पदोन्नति की प्रतिशतता को बढ़ायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) सीमा सुरक्षा बल में उप-महानिरीक्षक और इससे ऊपर के पद कैडर अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा और सेना के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार द्वारा नीचे दिए गए प्रतिशत के अनुसार भरे जाते हैं :—

1.	उप महानिरीक्षक	—केडर अधिकारियों की प्रोन्नति —50% द्वारा —भारतीय पुलिस अधिकारियों को—40% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा —सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति—10% पर स्थानान्तरण/पुनः रोजगार द्वारा
2.	महानिरीक्षक	—भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों —80% की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनः रोजगार द्वारा —कैडर अधिकारियों की प्रोन्नति —20% द्वारा
3.	अतिरिक्त महानिदेशक और महानिदेशक	—भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा —100%

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

विवरण

1990 के दौरान सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किए गए कांस्टेबलों की केन्द्रवार संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	भर्ती किए गए कान्स्टेबलों की संख्या
1	कश्मीर फ्रन्टियर	660
2	जम्मू फ्रन्टियर	1830
3	पंजाब फ्रन्टियर	1263
4	आर. एण्ड जी. फ्रन्टियर	2678
5	साउथ बंगाल फ्रन्टियर	1497
6	नार्थ बंगाल फ्रन्टियर	1043
7	शिलांग फ्रन्टियर	741
8	त्रिपुरा फ्रन्टियर	101
9	एके मी टेकनपुर	856
10	सी. एम. डब्ल्यू. टी इन्दौर	716
11	डी. आई. जी. (हेड क्वार्टर) नई दिल्ली	7431
12	प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल हजारी बाग	1526
		20342

सीमा सुरक्षा बल में युवकों को कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें और अपेक्षित औपचारिताएं ।

सीमा सुरक्षा बल में कान्स्टेबल की भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :—

उम्र	शैक्षिक योग्यता		ऊंचाई	सीना	वजन
18-22 वर्ष	हाई स्कूल	(क) मैदानी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए	170 से.मी.	80–85 से. मी.	चिकित्सा मानक के आधार पर

1	2	3	4	5	6
(सांविधिक आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शिथलनीय)	(ख)	दक्षिणी राज्यों (आन्ध्र प्रदेश/महाराष्ट्र/केरल/कर्नाटक/तमिलनाडु) के उम्मीदवारों के लिए	167.5 से. मी.	80--85 से. मी.	लम्बाई के अनुपात के अनुसार
	(ग)	पहाड़ी जन जातियों के लिए	167 से.मी.	78--83 से. मी.	--वही--
	(घ)	सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अनसूचित जनजातियों/आदिवासियों के लिए ।	162.5 से. मी.	76--81 से. मी.	--वहीं--

वे यवक, जो उपरोक्त वर्णित योग्यताएं पूरी करते हैं अपने शैक्षिक योग्यता और उम्र के प्रमाण-पत्र के साथ भर्ती केन्द्रों पर ऐसे दिवसों को भाग ले सकते हैं, जिनका मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया जाता है । उपस्थित होने पर, इन उम्मीदवारों को चयन में नियुक्ति और मेरिट के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा शारीरिक और लिखित परीक्षा, और साक्षात्कार परीक्षा देनी पड़ती है ।

Bank dcoiry in Oktha, New Delhi

1494. SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether any arrests have been made in connection with Okhla Bank dacoity, in Delhi on the 15/16th July, 1991;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action taken against the Delhi Police Officials for negligence of duty, if any, and to gear up the functioning of Delhi Police to control law and order situation in the Capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) (a) to (c) No arrest has so far been made in tbe Okhla Bank dacoity case despite all endeavours.

(d) An enquiry has been initiated by Delhi Police to ascertain lacunae and lapses, if any, on the part of concerned police officials. The then SHO, Okhla and a lady constable in the Police Control Room have been suspended. The steps taken by the Government to control law and order situation include increased patrolling; posting of pickets at strategic points; strengthening of intelligence, frequent raids at the hideouts of criminals; increased surveillance; coordination meetings with the officials of the neighbouring states; training of police officers in handling modern weapons; introduction of scientific methods of investigation; modernisation of communication network, etc.

Transport policy

1495. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state;

(a) whether Government propose to formulate a Transport Policy; and